



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



Office Order No. 17 of 2023

Sub : Reporting/Allocation of work to PEDs in Board's Office.

In supersession of Office Order No.17 of 2022, it has been decided that allocation of work and reporting of officers working in Establishment, Establishment(IR), Pay Commission, Sports, OL and Management Services Directorates would be as under:-

PEDs	Officer Reporting /Allocation of Specific Items of Work
PED/Staff	ED/E, EDPC, EDE/N, EDE/Res, EDE/RRB and ED/E(GC).
PED/HR	ED/T&MPP, Railway School & Territorial Army; Training & NRTI University, Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV) and HRMS
PED/IR	EDE/G, ED/E(Sports) / Dir/E(Sports), Dir/E(IR) / JD/E(IR), Dir/E(LL) / JD/E(LL), Dir/Welfare, and Rajbhasha.

2. ED/E(GC) would report directly to CRB&CEO on all policy issues relating to IRMS. In other matters, ED/E(GC) would report to PED/Staff.
3. PED/Staff, PED/HR and PED/IR would report to Board(CRB & CEO) through DG/HR as per above allocation/cases dealt with by them.
4. The above issues with the approval of competent authority.

No.2023/O&M/7/7
New Delhi. Dated : 30.03.2023


(T. Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Tele No.011-23387362
Email ID: t.srinivas1@gov.in

All officers and Branches in Rail Bhawan/Railway Board, Board's Office at COFMOW Building and at Daya Basti, New Delhi.

Copy to :

DG/HR, PED/Staff, PED/HR & PED/IR, EDE(GC)
EDPG/MR, EDPG/MoSR(D) & EDPG/MoSR(J)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2023 का कार्यालय आदेश सं. 17

विषय : बोर्ड कार्यालय में प्रधान कार्यपालक निदेशक को कार्य की रिपोर्टिंग /आवंटन

2022 के कार्यालय आदेश संख्या 17 का अधिक्रमण करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि स्थापना, स्थापना (औद्योगिक संबंध), वेतन आयोग, खेलकूद, राजभाषा और प्रबंधन सेवाएं निदेशालयों में कार्य करने वाले अधिकारियों के कार्य का आवंटन और रिपोर्टिंग व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

प्रधान कार्यपालक निदेशक	अधिकारियों की रिपोर्टिंग/ कार्य विशिष्ट मदों का आवंटन
प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्मिक	ईडी/ई , ईडीपीसी, ईडीई/एन, ईडीई/आर इएस, ईडीई/आरआरबी एवं ईडी/ई(जीसी)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/मानव संसाधन	ईडी/टीएंडएमपीपी, रेलवे स्कूल और प्रादेशिक सेना; प्रशिक्षण और एनआरटीआई विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) और एचआरएमएस
प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध	ईडीई/जी, ईडी/ई (स्पोर्ट्स)/ निदेशक/ई (स्पोर्ट्स), निदेशक/स्था. (औद्योगिक संबंध)/ संयुक्त सचिव/स्था.(औद्योगिक संबंध), निदेशक/ई(एलएल)/ संयुक्त निदेशक/ई(एलएल), निदेशक/कल्याण और राजभाषा

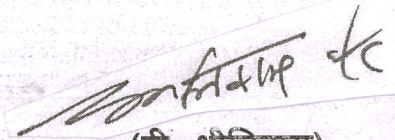
2. कार्यपालक निदेशक/ई(जीसी) आईआरएमएस से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों पर सीधे सीआरबी एवं सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। कार्यपालक निदेशक/ई(जीसी) अन्य मामलों में, प्रधान कार्यपालक निदेशक/स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे।

3. प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्मिक, प्रधान कार्यपालक निदेशक/मानव संसाधन और प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध उपर्युक्त आवंटन/उनके द्वारा निपटाए गए मामलों के अनुसार महानिदेशक/मानव संसाधन के माध्यम से बोर्ड (सीआरबी और सीईओ) को रिपोर्ट करेंगे।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं.2023/ओएंडएम/7/7

दिनांक: 30.03.2023



(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

टेली नं.:011-23387362

ई-मेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

रेल भवन/रेलवे बोर्ड, बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

महानिदेशक/मानव संसाधन, प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्मिक, प्रधान कार्यपालक निदेशक/मानव संसाधन एवं प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध, ईडीई (जीसी)

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (जे)